

# ॥ नामान्तरण फार्म ॥

आयुक्त,  
नगर पालिक निगम,  
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:-भवन नामान्तरण / हक अंश की सूचना देने बाबत।

- में ..... पिता / पति श्री ..... एतद् द्वारा नगर पालिक निगम निवासी ..... अधिनियम 1956 की धारा 167 के अंतर्गत भूमि/भवन हक या भूमि / भवन के किसी भाग का अंश में हक / स्वत्व अधिकार के सूचना देता हूँ, सुसंगत जानकारी निम्नानुसार है :-
1. हस्तान्तरणकर्ता / विक्रेता (जिसका नाम अभिलेख में दर्ज है) का नाम .....  
पिता / पति श्री ..... पूर्ण पता .....
  2. हस्तान्तरिती / क्रेता (जिसका नाम अभिलेख में दर्ज किया जाना है) का नाम .....  
..... पिता / पति श्री .....
  3. सम्पत्ति का वर्णन :- (क) भूमि (ख) भवन :- आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक  
(अ) भूमि / भवन का शीट नं. .... प्लॉट नं. .... रकबा .....
  4. स्थिति ..... वार्ड क्र. .... मकान क्र. .... मोहल्ला .....
  5. नगर पालिक निगम द्वारा उस पर :-  
(क) कर लगाया गया अथवा नहीं :- हाँ / नहीं  
(ख) यदि कर लगाया गया है तो उसका अंतिम रसीद की छाया प्रति संलग्न करें .....  
(ग) करदाता का नाम .....
  6. (1) हक अंतरण करने का साधन ..... मूल्य .....
  - (2) रजिस्ट्रीकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण की दिनांक ..... सहित अंतरण के दिनांक .....
  - (3) लिखित द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन .....  
(4) बिना लिखित के संपत्ति के मूल्यांकन .....  
उस व्यक्ति की जिसमें भूमि / भवन के / भाग या अंश का हक था / निहित था मृत्यु हो जाने के स्थिति में :-  
(1) मृतक का नाम ..... पिता / पति श्री .....
  - (2) दायद हस्तान्तरिती का नाम .....  
(3) हक लेने का दिनांक .....  
(4) हक वंशानुसार द्वारा लिया गया है .....  
सभा निहिस्तान्तरण द्वारा .....

अतः उपरोक्तानुसार हक अंतरण करने का कष्ट करें।

दिनांक .....

हस्तान्तरणकर्ता / हस्तांतरिती  
दायाद के हस्ताक्षर  
मो. ....